



आग्रा विकास प्राधिकरण, आग्रा
परमिट फार्म (भाग-2)

परमिट संख्या:- 813/बी.एफ.टी/10/13-14

दिनांक.....

06.1.15

सेवा में,

श्री/श्रीमती, विकास जैन

पुत्र श्री सत्य नारायण जैन

निवासी- 17- गोपाल कुंज, बाईपास रोड, आग्रा।

भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की जा रही है।

(क) किया जाने वाला निर्माण सुंसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिलिंग कोड के प्रविधानों के अनुरूप अर्ह स्टक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित

(ख) निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। ताकि सुरक्षा की आपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।

(1) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक रियल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आवश्यक किया जाएगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्टक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ

करने के जो डिजाइन अनुमोदित की गई है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

(2) भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण समग्रियों सीमेन्ट, स्टील, स्टोनप्रिट, ईट कोस सैण्ड एवं गार्टर तथा कान्फ्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की मुव्विदा उपलब्ध रही आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण समग्रियों की नियमित सैम्प्लिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक एवं रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परीणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहें ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।

(3) निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतन्त्र एक्सपर्ट द्वारा ही कराया जायेगा। केता/आवांटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषक की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का वर्ष रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिताका परिधि में माने जायेंगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट X 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का, आर्केट, स्टक्चरल इंजीनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगा।

(1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

(2) अनुमोदित प्रयोगशाला संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नीव के प्रविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।

(3) अधिकृत स्टक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नीव, सुपर स्ट्रक्चरल की गणनाएँ एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

(4) अधिकृत आर्केट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त बर्किंग डिजाइन जिसमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।

(5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी10 एण्ड पी10 का विवरण।

(6) साइट इंजीनियर इन्सेपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

(7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

(इ) मुख्य अग्निन-मान अधिकारी तथा पी0डब्ल्यूय०डी10, नगर निगम, नजूल एवं अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

भवदीय

संलग्न: स्वीकृत मानचित्र

संख्या..... तददिनांक

~~मुख्य नगर नियोजक
आग्रा विकास प्राधिकरण, आग्रा~~

प्रतीक्षित:-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आग्रा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आग्रा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि भास्त्र अधिकारी, आग्रा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....
के सन्दर्भ में फायर के प्रविधानों को सुनिश्चित करायें।

दिनांक.....

मुख्य नगर नियोजक
आग्रा विकास प्राधिकरण, आग्रा



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या:- 813/बी.एफ.टी./10/13-14

दिनांक.....

०६-११

सेवा में,

श्री विकास जैन

पुत्र श्री सत्यनारायण जैन

निवासी- 17- गौपाल कुंज, बाईपास रोड, आगरा।

आगरा।

महोदय/महोदया,
खसरा संख्या-174पी, 177पी, 178पी, 179पी, 180पी, मौजा बसई मुस्त0 चुगी बाहर, आगरा में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में
दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निर्मानिक अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार का स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारावान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्ता की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पथर के रूप में हो अथवा आकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हों, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृत अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहाँ पर विधुत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उठाना विधुत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

४. खर्चात्तराज्ञानपत्र जारी होने के उपरांत ही रेत वाटर एवं वेलिंग मवदीय संलग्न: स्वीकृति मानवित्र हेड जम्मा घनरारी अवधुक्त की जायेगी।

५. स्ट्रक्चरल डिजाइन Competent Authority से वेत करवाने के उपरांत ही स्पति पर निर्माण कार्य धारण किए जायेगा।

~~मुख्य नगर नियोजक
समिति नगर नियोजक
समिति नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा~~

संख्या..... तद दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0..... दिनांक..... के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा